न्यायालय- वाणिज्यिक न्यायालय संख्या 01, मेरठ।

निष्पादन वाद संख्या 533/2022 (पुराना नंबर 18/2016)

बैंक आफ बडौदा बनाम अनुज वोहरा और अन्य

दिनांकः 27-03-2025

वाद पुकारा गया। डिक्रीदार के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित है। निर्णीतऋणीगण एवं अमित कुमार की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।

पत्रावली आज अमित कुमार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कागज संख्या 46ग के निस्तारण हेतु नियत है, किन्तु प्रार्थन पत्र कागज संख्या 46ग पर बल देने हेतु अमित कुमार की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। अतः अमित कुमार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कागज संख्या 46ग अमित कुमार की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र पर बल देने हेतु किसी के उपस्थित न होने के कारण निरस्त किया जाता है।

पत्रावली के अवलोकन से यह विदित होता है कि दिनांक 24-09-2024 को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 21 नियम 66 के अन्तर्गत मकान संख्या 311 स्थित खसरा संख्या 5309 मौहल्ला न्यू मोहनपुरी, मेरठ शहर प्लाट संख्या 16 क्षेत्रफल 143.5 वर्गगज जिसेक पूर्व में रास्ता 15 फीट, पश्चिम में 20 फीट 09 इंच बादहू डॉ. भारद्वाज का मकान, उत्तर में 90 फीट बादहू श्री राम किशन गुप्ता का मकान और श्री सर्वश कुमार शर्मा एडवोकेट का प्लाट एवं श्री शेषदत्त शर्मा एडवोकेट का मकान एवं दक्षिण में 90 फीट बादहू श्री रविशान वोहरा का प्लाट स्थित है, को लोक नीलाम द्वारा विक्रय किये जाने हेतु नियमानुसार विक्रय की उदघोषणा जारी करने का आदेश पारित किया गया है तथा अमीन रिपोर्ट दिनांकित 22-10-2024 के अनुसार "वर्तमान सर्किल रेट की सूची के अनुसार 31400/- रुपये प्रति वर्गमीटर के अनुसार 37,68,000/- रुपये और इस स्थल पर मलवे के रूप में हुए निर्माण की कीमत लगभग 1.5 लाख मानते हुए कुल कीमत 39,18,000/- रुपये सरकारी बोली बतायी गयी और उपस्थित लोगों से इस राशि से ऊपर बोली बोलने के लिए कहा तो उक्त लोगों ने इस राशि पर भी निलाम द्वारा संपत्ति खरीदने से इंकार कर दिया और कहा इस संपत्ति की सामने की भुजा की चौड़ाई 8 फीट और पीछे की भुजा की चौड़ाई 20 फीट और गहराई 90 फीट होने के कारण इस संपत्ति को बहुत कम कीमत की संपत्ति बताया और उक्त लोगों में से अमित कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश ने सर्वाधिक धनराशि 19,50,000/- रुपये में लेने की इच्छा व्यक्त की, किन्तु उक्त संपत्ति की सरकारी अभिलेख के अनुसार 39,18,000/- रुपये होने के कारण उक्त संपत्ति का निलाम नहीं किया जा सका। अतः नीलाम परवाना बिना तामील उचित आदेशार्त हेतु दाखिल न्यायालय किया जाता है।" अतः आदेश दिनांक 24-09-2024 के अनुक्रम में मकान संख्या 311 स्थित खसरा संख्या 5309 मौहल्ला न्यू मोहनपुरी, मेरठ शहर प्लाट संख्या 16 क्षेत्रफल 143.5 वर्गगज जिसेक पूर्व में रास्ता 15 फीट, पश्चिम में 20 फीट

09 इंच बादहू डॉ. भारद्वाज का मकान, उत्तर में 90 फीट बादहू श्री राम किशन गुप्ता का मकान और श्री सर्वश कुमार शर्मा एडवोकेट का प्लाट एवं श्री शेषदत्त शर्मा एडवोकेट का मकान एवं दक्षिण में 90 फीट बादहू श्री रविशान वोहरा का प्लाट स्थित है, को लोक नीलाम द्वारा विक्रय किये जाने हेतु सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में विदित रीति से विक्रय की उदघोषणा जारी की जाये। इस निमित डिक्रीदार आवश्यक पैरवी अविलम्ब करें। पत्रावली दिनांक 25-04-2025 को पेश हो।

दिनांक 27-03-2025

पीठासीन अधिकारी
वाणिज्यिक न्यायालय संख्या 1,
मेरठ।

Digitally signed by SATYA NAND UPADHYAY
Date: 2025.03.27 16:58:54 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court